कार्यालय उप वन संरक्षक वन्यजीव राजसमन्द

क्रमांक एफ.एफ.सी.ए./2021/ 13003 दिनांक 30.12.22

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक
वन्यजीव उदयपुर।

विषय– "Construction of Bypass Road from NH-8 to Kothariya & Nathuwas link road, Tehsil-Nathdwara, District-Rajsamand(Rajasthan)" (FP/RJ/ROAD/154137/2022).

संदर्भ– आपका पत्रांक 2500 दिनांक 29.11.2022 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र में लगये गये आक्षेप की पूर्ति प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कर दी गयी है।

क.सं.	आक्षेप	जवाब
1.	प्रस्तावित रोड के सेगमेन्ट 1 एवं वनखण्ड के NH-8 से लगती सीमा के मध्य काफी वनभूमि लगभग 5.10 हेक्टर रोड छोड़ दी गई है जिस पर भविष्य में निश्चित रूप से अतिक्रमण होने की संभावना रहेगी। जबकि प्रस्तावित रोड़ का सेगमेन्ट 1 वनखण्ड की सीमा से लिया जा सकता है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एलायमेंट को संशोधित कर दिया गया है।
2.	प्रस्तावित रोड के सेगमेन्ट 2 एवं वनखण्ड की सीमा के मध्य भी काफी वन क्षेत्र लगभग 5.48 हेक्टर वनभूमि अतिक्रमण होने हेतु छोड़ दी गई है जबकि प्रस्तावित रोड़ का सेगमेंट 2 वनखण्ड की सीमा से प्रस्तावित किया जा सकता है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित कर दिया गया है।
3.	आप द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या–10 में अंकित किया गया है कि उक्त वनभूमि जिस पर रोड़ प्रस्तावित किया गया है उसका कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है एवं प्रस्ताव में न्यूनतम वनभूमि होने का उल्लेख किया गया है। जबकि उक्त प्रस्तावित रोड़ का मुख्य उद्देश्य नाथद्वारा से मावली भटेवर राज्यमार्ग 49 एवं नाथद्वारा से कोठारिया मार्ग को जोड़ने से है जिससे नाथद्वारा कस्बे में ट्रेफिक कम किया जा सके, विवरणित किया गया है। यदि इन दोनो सड़को (मावली एवं कोठारिया जाने वाली) को जोडना ही है तो सबसे उपयुक्त रास्ता, मावली रोड पर चेनेज लगभग 2000 मीटर से वनखण्ड की सीमा से होते–होते, कोठारिया रोड पर उसी चेनेज 4030 मीटर पर समाप्त होगा जो कि लगभग 2.30 रनिंग कि.मी. होगी। उक्तानुसार	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत करवाया गया है कि आप द्वारा वर्णित करवाये गये रूट में अत्यधिक उचाई वाले पहाड़ एवं चट्टान स्थित है, जिस कारण से उक्त वर्णित मार्ग से सडक निर्माण किया जाना संभव नही हो पा रहा है।

Scanned with CamScanner

	प्रस्तावित सड़क लगभग सीधी होने से सबसे कम लागत में भी निर्मित होगी और प्रस्ताव में वनभूमि भी सम्मिलित नहीं रहेगी। जबकि प्रस्ताव में सम्मिलित सड़क की लंबाई लगभग 3.86 कि.मी. दर्शाई है एवं वनभूमि का भी समावेश किया गया है।	

भवदीय

(डॉ. ए.एन. गुप्ता)
उप वन संरक्षक
वन्यजीव राजसमन्द

क्रमांक एफ.एफ.सी.ए./2021/13010
दिनांक 30-12-22

प्रतिलिपी– आयुक्त नगरपालिका नाथद्वारा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
वन्यजीव राजसमन्द

Scanned with CamScanner